न्यायालय : सिविल न्यायाधीश , कठूमर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी : धर्मेन्द्र कुमार शर्मा, आर.जे.एस.

दीवानी प्रकरण संख्या : 34/02/2018

1. काडूराम पुत्र पप्पूराम जाति मीना उम्र करीब 50 साल निवासी ग्राम पावटा तहसील कठूमर जिला अलवर राज.।

... वादी

—— बनाम ——

1. जयपुर डिस्कॉम जरिये प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम, ज्योतिनगर जयपुर राज.,
2. जयपुर डिस्कॉम जरिए सहायक अभियन्ता, कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर, राज.

... प्रतिवादीगण

दावा बाबत दिलाये जाने क्षतिपूर्ति राशि अन्तर्गत धारा 1 फैटल एक्सीडेंट अधिनियम 1855

उपस्थिति :–
1. श्री श्री राधेश्याम चौधरी अधिवक्ता, वादी की ओर से।
2. श्री जीतेन्द्र गर्ग अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से।

:: निर्णय :: दिनांक :23.01.2020

1. वादी काडूराम की ओर से न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि मृतक उॅट वादी का स्वयं का खरीदशुदा था, जो वादी की आजीविका का एकमात्र सहारा था। दिनांक 12.05.2017 को समय करीब 11:00, 11:30 बजे की की बात है कि गॉव पावटा के जंगल में रामकुॅवार मीना के कुॅए के पर उसके खेत में तीन उॅट चर रहे थे। वे चरते चरते 11000 के.वी. विद्युत लाईन के पास पहुॅचे तो विद्युत लाईन के तार बहुत ढीले होने के कारण नीचे लटके हुए थे। तार इतने नीचे लटके हुए थे कि उॅट की गर्दन व शरीर को आसानी से छू रहे थे। जिसके कारण तीनों उॅटों की गर्दन को छुते हुए विद्युत करन्ट लग गया और तीनों उॅटों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। उन तीनों उॅटों में से एक उॅट वादी का भी था। उक्त दुर्घटना की सूचना वादी व अन्य के द्वारा पुलिस व विद्युत विभाग के सहायक अभियन्ता को दी गई। मौके पर पुलिस, पशु चिकित्सक टीम व विद्युत विभाग के कर्मचारी आये। तीनों उॅटों का पोस्टमार्टम, पंचनामा, व पुलिस कार्यवाही की गई। उक्त घ ाटना प्रतिवादीगण की घोर लापरवाही होने के कारण हुई। उक्त दुर्घटना की पुलिस रोजनामचा रिपोर्ट संख्या 047 दिनांक 12.05.2017 दर्ज की गई। पूर्व में भी विद्युत तारों के ढीले व नंगे तार होने की सूचना कई बार विद्युत विभाग को

दी गई थी, लेकिन विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा दिनांक 12.05.2017 तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। वादी का मृतक उॅट उसके व वादी के परिवार की आजीविका का एक मात्र सहारा था, जिससे वादी उॅट गाडी में चलाकर मेहनत मजदूरी करके उॅट को लोडिंग के रूप मे प्रयोग कर अपना जीवन यापन करता था, लेकिन अब वादी के उॅट की मृत्यु होने से वादी के परिवार के भूखा मरने की नौबत आ गई है, जिससे वादी को आर्थिक व मानसिक कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। वादी की उॅट की वक्त दुर्घटना 60 हजार रूपये कीमत थी। अब वादी को एक और उॅट खरीदने के लिए भी 60 हजार रूपये की आवश्यकता होगी। वादी को उॅट की सामयिक मृत्यु से भारी आर्थिक हानी का सामना करना पड रहा है। वादी बतौर क्षतिपूर्ति 60 हजार रूपये प्रतिवादीगण से प्राप्त करने का अधिकारी है। दिनांक 12.05.2017 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण के कार्यालय में उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति की राशि की मांग की गई, लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा कोई जबाव नहीं दिया गया। अतः क्लेम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि क्लेम याचिका अन्तर्गत धारा 1 फैटल एक्सीडेंट अधिनियमत 1955 के तहत स्वीकार फरमाया जाकर वादी को अपने म्रत्य पशु उॅट की क्षतिपूर्ति क्लेम राशि 60 हजार रूपये मय ब्याज 18 प्रतिशत वार्षिक दर से क्लेम दायरी की दिनांक से वसूली दिनांक तक दिलाया जावे।

2. वादी के उक्त वादपत्र का प्रतिवादीगण की ओर से संयुक्त रूप से जवाब प्रस्तुत कर यह अभिवचन किये गये कि दावा के पैरा संख्या 1 के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। आगे कथन किया है कि मौके पर की गई जॉच के मुताबिक उक्त 11 के.वी. लाईन में विद्युत विभाग द्वारा लाईन को टाईट रखने हेतु स्टे लगाइ गई थी, जिसको गॉव के किसी अज्ञात व्यक्ति ने रात में खोल दिया था। उक्त स्टे के खुलने की वजह से 11 के.वी. लाईन ल्यूज हो गई। जिसकी जानकारी गॉव के किसी भी व्यक्ति द्वारा विद्युत निगम को नहीं दी गई। और न ही लाईन में प्रभावित बिजली को बन्द करने की कोई सूचना दी गई। उक्त घटना में विभाग के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की कोई लापरवाही नहीं है। आगे कथन किया है कि प्रतिवादीगण को दावा के पैरा संख्या 5 व 6 के तथ्यों की जानकारी नहीं है व दावा का पैरा संख्या 7 में वर्णित तथ्य गलत है, स्वीकार नहीं। दावा अदालत में गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है, जो श्रवण योग्य नहीं है। वादी का दावा मय हर्जा खर्चा खारिज किए जाने का निवेदन किया।

3. उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 15.02.2018 को निम्न विवाद्यक विरचित किये गये –:

1. आया दिनांक 12.05.2017 को ग्राम पावटा के जंगल में वादी का ऊॅट चराई करने के दौरान विद्युत लाईन 11 हजार के.वी. के विद्युत तार ढीले होने के कारण वादी के ऊॅट के शरीर के छूने के कारण वादी के ऊॅट की करंट से मृत्यु हो गई तथा उक्त विद्युत लाईन प्रतिवादीगण की लापरवाही के कारण ढीले व नंगे तार होने के कारण ऊॅट की मृत्यु प्रतिवादीगण की लापरवाही से हुई है ?

..... वादी

2. आया वादी का ऊॅट प्रतिवादीगण की लापरवाही के कारण करंट की वजह से मृत्यु होने से वादी प्रतिवादीगण से क्षतिपूर्ति बतौर 60 हजार रूपये मय ब्याज 18 प्रतिशत वार्षिक दर से प्रतिवादीगण से संयुक्त तौर से अथवा पृथक पृथक रूप से प्राप्त करने का अधिकारी है ?

.....वादी

3. अनुतोष ?

4. साक्ष्य वादी में गवाह काडूराम पी.ड.1, पीडब्ल्यू 2 बद्रीप्रसाद, पीडब्ल्यू 3 प्रकाशचंद व पीडब्ल्यू 4 नत्थीराम ने शपथ पत्र पेश कर अपने अपने कथन लेखबद्व कराये व दस्तावेजी साक्ष्य में पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श–1 को पेश कर प्रदर्शित कराया गया। इसके विपरीत साक्ष्य प्रतिवादीगण में डी.डब्ल्यू.1 राजीव मीना, एस.एस.ए. सैकण्ड जे.वी.वी.एन.एल. खेडली, डी डब्ल्यू 2 अशोक सैनी लाईन मैन, जे.वी.वी.एन.एल. बडौदाकान व डी डब्ल्यू 3 जगनलाल मीना, तत्कालीन सहायक अभियन्ता जे.वी.वी.एन.एल. कठूमर के रूप में शपथ पत्र पेश कर कथन लेखबद्व कराये व दस्तावेजी साक्ष्य में कोई दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित नहीं कराया गया।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय द्वारा कायम किये गये विवाद्यक वार विवेचन निम्नानुसार है –:

<u>विवाद्यक संख्या :– एक</u>

1. आया दिनांक 12.05.2017 को ग्राम पावटा के जंगल में वादी का ऊॅट चराई करने के दौरान विद्युत लाईन 11 हजार के.वी. के विद्युत तार ढीले होने के कारण वादी के ऊॅट के शरीर के छूने के कारण वादी के ऊॅट की करंट से मृत्यु हो गई तथा उक्त विद्युत लाईन प्रतिवादीगण की लापरवाही के कारण ढीले व नंगे तार होने के कारण ऊॅट की मृत्यु प्रतिवादीगण की लापरवाही से हुई है ?

..... वादी

उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार वादी पर था। जिसके समर्थन में वादी ने स्वयं का व गवाह पीडब्ल्यू 2 ब्रदीप्रसाद व गवाह पीडब्ल्यू 3 प्रकाशचंद व पीडब्ल्यू 4 नत्थीराम के बयान कराए। गवाह काडूराम ने अपने बयानों में कथन किया कि दिनांक 12.05.2017 को दोपहर करीब ग्यारह साढे ग्यारह बजे पावटा के जंगल में रामकुँवार मीना के कुएँ पर उसके खेत में तीन उॅट चर रहे थे, जिसमें से एक उॅट उसका था, जो चरते चरते 11 हजार के.वी. विद्युत लाईन के पास पहुॅचे तो विद्युत लाईन के तार बहुत ढीले होने के कारण नीचे लटके हुए थे। तारें इतने नीचे थे कि उॅट की गर्दन व शरीर को आसानी से छू रहे थे, जिस वजह से तीनों उॅटों की गर्दन को छूते हुए विद्युत करंट लग गया और तीनों उॅट मौके पर ही मर गए। जिसमें एक उॅट उसका था। इस बाबत् उसने पुलिस को व प्रतिवादी संख्या 2 को लिखित में सूचना दी। जिस पर मौके पर पुलिस, पशु चिकित्सक टीम, एवं विद्युत विभाग के कर्मचारी भी आये तथा तीनों उॅटों का पोस्टमार्टम व पंचनामा पुलिस कार्यवाही की गई। उक्त घटना प्रतिवादीगण व उनके अधीन कर्मचारियों की घोर लापरवाही के कारण घटित हुई है। वादी के इन बयानों का गवाह पी डब्ल्यू 2 बद्रीप्रसाद व पीडब्ल्यू 3 प्रकाशचंद ने पूरी तरह समर्थन किया है। तथा अपने बयानों में दिनांक 12.05.2017 को विद्युत लाईन के तार ढीले होने की वजह से नीचे लटकने के कारण उॅटों को करंट लगने से मृत्यु हो जाने का कथन किया है। गवाह पीडब्ल्यू 4 नत्थीराम पशु चिकित्सक द्वारा मृतक उॅट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श 1 तैयार की गई, जिसमें भी उॅट की मृत्यु का कारण बिजली के करंट के कारण हृदय आघात के काराण होना माना है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध गवाहान के बयानों से वादी के उॅट की मृत्यु 11 हजार के.वी. के विद्युत तार ढीले होने के कारण करंट लगने से होना सुस्पष्ट है। स्वयं प्रतिवादीगण ने भी अपने जबाव दावे में वादी के उॅट की मृत्यु करंट से नही होने के बाबत् कोई आपत्ति नहीं उठाई है तथा स्वयं डीडब्ल्यू 1 राजीव मीना व गवाह डीडब्ल्यू 2 अशोक सैनी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उॅटों की मृत्यु बिजली का करंट लगने से हुई है तथा बिजली का करंट तार ढीले होने के कारण लगा था। इस प्रकार स्वयं प्रतिवादीगण ने अपने बयानों में यह स्वीकार किया है कि वादी के उॅट की मृत्यु 11 के.वी. की लाईन ल्यूज हो जाने के कारण करंट से हुई है। इस प्रकार यह तथ्य वादी भलीभांति साबित करने में सफल रहा है कि उसके उॅट की मृत्यु 11 के.वी. की लाईन ल्यूज होने के कारण तथा तार लटकने की वजह से करंट लगने से हुई है। प्रकरण में अब मुख्य प्रश्न यह है कि क्या उक्त

घटना प्रतिवादीगण की लापरवाही के कारण घटित हुई है, तो इस संबंध में प्रतिवादीगण का यह कथन रहा है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने विद्युत विभाग द्व ारा लाईन को टाईट रखने हेतु स्टे लगाई थी, जिसको रात में खोल दिया, जिसके कारण 11 के.वी. की लाईन ल्यूज हो गई। तथा इस बात की कोई जानकारी गॉव के किसी व्यक्ति ने विद्युत निगम को नहीं दी और न ही लाईन में प्रभावित बिजली को बन्द करने की सूचना दी। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की ओर से वादी व उसके गवाहान से की गई जिरह में गवाहान ने यह कथन किया है कि तार ढीले होने की सूचना विभाग को नहीं दी थी। किन्तु प्रतिवादीगण ने यह बचाव लिया है कि उक्त तार किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा स्टे हटाने के कारण ल्यूज हो गए थे। किन्तु इस संबंघ में गवाह डीडब्ल्यू 1 राजीव मीना ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि लाईन मेन की रिपोर्ट मे स्टे हटाने वाली बात नहीं है, केवल तार ढीले होने वाली बात लिखी है। इसी प्रकार डीडब्ल्यू 2 अशोक सैनी लाईन मैन ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि रिपोर्ट में उसने केवल लाईन के ढीले तार बाबत् उल्लेख किया है। उसने स्टे हटाने वाली बात रिपोर्ट में नहीं लिखी है। इसी प्रकार गवाह डीडब्ल्यू 2 जगनलाल ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि लाईन की रखरखाव व देखभाल की जिम्मेदारी लाईन मैन की होती है। विद्युत लाईन की टूटफूट व कोई हादसे की सूचना उन्हें लाईन मैन व जे.ई.एन करता है। दिनांक 12.05.2017 को लाईन मैन अशोक द्वारा रिपोर्ट मेरे समक्ष पेश की गई, जिसमें किसी ग्रामीण द्वारा स्टे हटाने वाली बात का कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार स्वयं प्रतिवादीगण के सभी गवाहान इस बात को स्वीकार करते हैं कि लाईन मैन द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में किसी अज्ञात ग्रामीण द्वारा स्टे हटाने की बात का कोई उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि किसी ग्रामीण द्वारा स्टे हटाकर तार ल्यूज किए जाते तो उसका हवाला लाईन मैन की रिपोर्ट में अवश्य होता किन्तु लाईन मैने की रिपोर्ट में ऐसा कोई हवाला नहीं होना स्वयं गवाहान ने स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में यह नही माना जा सकता है कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा स्टे को रात में खोल दिया हो जिसके कारण विद्युत लाईन ल्यूज हो गई हो। विद्युत लाईन के रखरखाव व टूटफूट इत्यादि के मरम्मत की पूर्ण जिम्मेदारी विद्युत निगम व उसके कर्मचारियों की होती है। प्रस्तुत प्रकरण में विद्युत लाईन के ल्यूज होने व तार ढीले होकर नीचे लटकने से दुर्घटना होने की संभावना का ज्ञान विद्युत विभाग के कर्मचारियों को होता है। किन्तु उसके बावजूद भी उनके द्वारा इस बाबत् कोई कार्यवाही नहीं किए जाने से उनकी उपेक्षा व लापरवाही दृष्टिगत

होती है। प्रतिवादीगण का यह तर्क माने जाने योग्य नहीं है कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा स्टे हटाने से तार ढीले हो गए थे। ऐसी स्थिति में वादी इस विवाद्य क को साबित करने में सफल रहा है कि प्रतिवादीगण की लापरवाही के कारण विद्युत तार ढीले होने के कारण करंट लगने से उसके ऊॅट की दिनांक 12.05. 2017 को मृत्यु हो गई। अतः उक्त विवाद्यक वादी के पक्ष में तय किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या :– दो</u>

आया वादी का ऊॅट प्रतिवादीगण की लापरवाही के कारण करंट की वजह से मृत्यु होने से वादी प्रतिवादीगण से क्षतिपूर्ति बतौर 60 हजार रूपये मय ब्याज 18 प्रतिशत वार्षिक दर से प्रतिवादीगण से संयुक्त तौर से अथवा पृथक पृथक रूप से प्राप्त करने का अधिकारी है ?

उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार वादी पर था। वादी ने इस संबंध में अपने शपथ पत्र में कथन किया है कि उसके पास एक ऊॅट था। तथा उसी ऊॅट से वह गाडी चलाकर अपना तथा अपने परिवार का पेट पालता था। उसका मृतक ऊॅट हष्ट पुष्ट था, जिसकी कीमत करीब 60 हजार रूपये थी। यदि दुर्घटना मे उसके ऊॅट की मृत्यु नहीं हुई होती तो वह कम स कम दस साल जीवित रहता, उसको आर्थिक लाभ पहुॅचाता। उसने प्रतिवादीगण के कार्यालय में तथा उनसे क्षतिपूर्ति की राशि की मांग की, लेकिन उन्होंने आज तक कोई क्षतिपूर्ति राशि नहीं दी। इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 2 बद्रीप्रसाद व पीडब्ल्यू 3 प्रकाशचंद ने भी मृतक ऊॅट की कीमत करीब 60 हजार रूपये बताई है। इस संबधं में प्रतिवादीगण द्वारा जबाव दावे में कोई जानकारी नहीं होने का कथन किया है तथा स्वयं वादी को साबित करने का कथन किया है। इस प्रकार ऊॅट की कीमत के संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति या डिनायल प्रतिवादीगण ने नहीं किया है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत गवाह पीडब्ल्यू 4 नत्थीराम पशु चिकित्सक ने अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श 1 में कॉलम नं. 4 में मृतक ऊॅट की कीमत 50 हजार रूपये अंकित की है। इस संबंध में दौराने जिरह उक्त गवाह ने कथन किया है कि उसने कॉलम नं. 4 में 50 हजाार की कीमत दर्शायी है, वह पशु के स्वास्थ्य, उपयोगिता एवं उम्र के आधार पर आंकलित की है। उक्त गवाह के अनुसार ऊॅट की उम्र साढे सात वर्ष बताई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार ऊॅट स्वस्थ्य था। ऐसी स्थिति में उपरोक्त गवाहान के बयानों के आधार पर ऊॅट की मृत्यु से क्षतिपूर्ति बाबत् वादी को 50 हजार रूपये प्रतिवादीगण से दिलाया जाना तथा उक्त राशि पर दावा दायरी की

तिथि से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उक्त विवाद्यक इसी प्रकार से वादी के पक्ष में तय किया जाता है।

अनुतोष ?

चूंकि विवाधक संख्या 1 व 2 वादी अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है तथा उपरोक्त विवाधक वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय किये गये हैं । अतः दावा वादी डिक्री होने योग्य है।

आदेश

6. अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण बाबत क्षतिपूर्ति राशि स्वीकार कर इस आशय से डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से अथवा पृथक पृथक 50 हजार रूपये राशि बतौर क्षतिपूर्ति मय ब्याज 9 प्रतिशत वार्षिक दर से दावा दायरी की दिनांक से अदायगी की तिथि तक वादी काडूराम को अदा करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना स्वयं वहन करेगें।

7. उपरोक्तानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

(धर्मेन्द्र कुमार शर्मा)
सिविल न्यायाधीष, कठूमर जिला अलवर

8 निर्णय आज दिनांक 23.01.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धर्मेन्द्र कुमार शर्मा)
सिविल न्यायाधीष, कठूमर जिला अलवर